

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने हेतु वांछित अभिलेख

आपसी सहमति के आधार पर विक्रय-पत्र नि-पादित कराने हेतु भू-स्वामी/खातेदारों द्वारा भूमि से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे :-


1. संबंधित तहसीलदार/चकबंदी अधिकारी द्वारा सत्यापित खसरा/खतौनी/सी0एच0 23 की नवीनतम सत्यापित प्रति।
2. संबंधित सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम सर्व सार्टिफिकेट (बारह साला प्रमाण-पत्र)।
3. जोत चंकबंदी आकार पत्र 41 व 45 की सत्यापित प्रति।
4. तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र (यदि आवश्यक हो)।
5. भूमि के पूर्ण विवरण व काश्तकार द्वारा स्प-ट रूप से हस्ताक्षरित फोटोयुक्त प्रार्थना-पत्र।
6. 100 रुपये के स्टाम्प पेपर्स पर काश्तकार की फोटो सहित नोटरी से प्रमाणित निर्धारित प्रारूप पर अण्डरटेकिंग।
7. निर्धारित प्रारूप पर तहसील/चकबंदी विभाग से पूर्ण आख्या।
8. निर्धारित प्रारूप पर हलका लेखपाल द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ सहित आइडेंटिफिकेशन।

सेवा में,

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।

महोदय,



निवेदन करना है कि मैं (नाम व पिता/पति का नाम)

..... निवासी.....

तथा खतौनी खाता संख्या..... की भूमि खसरा संख्या.....

रकबा..... स्थित ग्राम..... परगना.....

तहसील..... जिला..... का मैं तनहा स्वामी व काश्तकार

भूमिधर हूँ। यह कि मैं अपनी उपर्युक्त भूमि आपसी समझौते से यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को

प्राधिकरण की निर्धारित दर पर स्वेच्छा से बेचना चाहता हूँ। मेरी भूमि सब प्रकार से भार मुक्त है

तथा मैंने इसे कही बंधक नहीं रखा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी उक्त भूमि यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण से सीधे क्रय किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी

हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता

दिनांक:-.....

शपथ-पत्र

समक्ष: मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औ0वि0 प्राधिकरण ओर से श्री.....
निवासी.....

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सही है।
2. मैं/हम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हूँ/नहीं हूँ।
3. यह कि ग्राम.....कि भूमि खसरा संख्या.....
 क्षेत्रफल.....बीघा/है0 पर मेरा/हमारा नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।
4. यह कि उपरोक्त भूमि सीलिंग, नि-क्रांत/शत्रु सम्पत्ति नहीं है, भूमि ग्राम सभा, सार्वजनिक उपयोग की नहीं है तथा मेरे/हमारे पास 12.5 एकड से अधिक भूमि नहीं है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर वर्तमान में मेरा कब्जा है, कब्जे स्वामित्व अथवा अन्य किसी संबंध में प्रश्नगत भूमि से संबंधित कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
6. यह कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में मैंने या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने किसी को किसी भी प्रकार से बेची नहीं है/बन्धक नहीं है।
7. यह कि मैं/हम अपनी उपरोक्त भूमि को यमुना एक्सप्रेसवे औ0वि0 प्राधिकरण को समझौते के आधार पर बैनामे द्वारा बेचना चाहता हूँ और निर्धारित दर पर प्रतिकर प्राप्त करने के लिये तैयार हूँ।
8. यह कि मैं/हम प्रश्नगत भूमि को इस शपथ पत्र के प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को बैनामा करने तक किसी अन्य व्यक्ति को बन्धक अथवा बैनामा नहीं करूंगा/करेंगे।
9. यह कि बैनामों के उपरान्त यदि प्राधिकरण को प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्राप्त करने में कोई वैधानिक बाधा होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा/हमारा होगा।

शपथकर्ता

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण हेतु भूमि विक्रय संबंधी प्रकरणों में जाँच ऑख्या का प्रारूप

1.	ग्राम का नाम	
2.	खाता संख्या	
3.	खसरा संख्या	
4.	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	
5.	काश्तकार का नाम, पिता का नाम व निवास स्थान	
6.	भौमिक अधिकार प्रारंभ होने का वर्ग	
7.	विक्रेता काश्तकार का हिस्सा	
8.	क्या प्रश्नगत भूमि ग्राम सभा/राज्य सरकार/भूदान/ नि-क्रांत/ सीलिंग भूमि है?	
9.	क्या विक्रेता काश्तकार अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है?	
10.	विक्रेता काश्तकार पुश्तैनी है अथवा गैर पुश्तैनी।	
11.	विक्रेता काश्तकार पर कोई सरकारी देय बकाया तो नहीं है? यदि हाँ तो उसका विवरण।	
12.	विक्रित की जाने वाली भूमि किसी बैंक में बंधक तो नहीं है?	
13.	मौके पर काश्तकार के कब्जे की स्थिति तथा काबिजदार का नाम	
14.	प्रश्नगत भूमि पर निर्माण/परिसम्पत्तियों की स्थिति	
15.	विक्रीत भूमि से संबंधित कोई वाद राज्य हित/पक्ष के मध्य विचाराधीन है/नहीं, यदि है तो न्यायालय का नाम व वाद संख्या	

लेखपाल
तहसील.....

राजस्व निरीक्षक
तहसील.....


तहसीलदार
तहसील.....

प्रतिहस्ताक्षरित

उप जिलाधिकारी

काश्तकार की पहचान का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री
 पुत्र श्री..... निवासी की पहचान
 करता हूँ जिनका फोटो नीचे लगा है। इनकी भूमि ग्रामके गाटा
 संख्या में स्थित है। पहचान के प्रमाण स्वरूप फोटो पर मेरे हस्ताक्षर व मोहर
 अंकित है।



()

लेखपाल

ग्राम

क्षेत्र-

तहसील

प्रतिहस्ताक्षरित

तहसीलदार

तहसील

सेवा में,

Jheku rgl hynkj egkn;]
tuin xk\$recq) uxjA

fo" k; % ekfydkuk@LokfeRo i æk. k&i = grq vkonuA

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की ग्राम.....परगना..... तहसील.....
जिला गौतमबुद्धनगर में कृषि भूमि स्थित है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। उक्त ग्राम
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित ग्राम है। प्रार्थी इस भूमि को अपनी सहमति से
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को विक्रय करना चाहता है, जिसके
प्रतिकर/प्रतिफल प्राप्त करने हेतु मालिकाना/स्वामित्व प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है।

अतः कृपया निम्न वर्णित भूमि का मालिकाना/स्वामित्व प्रमाण-पत्र देने की कृपा करें।

Hkfe dk foj .k

[kkrk l a[; k&

[kl jk l a[; k@{ks=Qy&

gLrk{kj i kFkhZ

uke-----

rgl hy dh tkp vk[; k

i Jh-----

fuokl h-----

gLrk{kj
ys[ki ky

gLrk{kj
jktLo fujh{k d

gLrk{kj
rgl hynkj

सेवा में,

Jheku rgl hynkj egkn;]
tulin xk\$recq) uxjA

fo"k; % fgLI k i æk.k&i = gsrq vkonuA

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की ग्राम.....परगना..... तहसील.....
जिला गौतमबुद्धनगर में कृषि भूमि स्थित है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। उक्त ग्राम
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित ग्राम है। प्रार्थी इस भूमि को अपनी सहमति से
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को विक्रय करना चाहता है, जिसके
प्रतिकर/प्रतिफल प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को संकमणीय भूमि के सहखातेदार मालिक व काबिज
होने के कारण हिस्सा प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है।

अतः कृपया निम्न वर्णित भूमि का हिस्सा प्रमाण-पत्र देने की कृपा करें।

Hkfe dk fooj .k

[kkrk l a[; k&

[kl jk l a[; k@{ks=Qy&

gLrk{kj i kFkhZ

uke-----

rgl hy dh tkp vk[; k

i# Jh-----

fuokl h-----

gLrk{kj
ys[ki ky

gLrk{kj
jktLo fujh{k d

gLrk{kj
rgl hynkj

सेवा में,

Jheku rgl hynkj egkn;]
tuin xk\$recq) uxjA

fo•k; % uk&M; wt @vns; rk i æk.k&i = grq vkonuA

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की ग्राम.....परगना..... तहसील.....
जिला गौतमबुद्धनगर में कृषि भूमि स्थित है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। उक्त ग्राम
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित ग्राम है। प्रार्थी इस भूमि को अपनी सहमति से
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को विक्रय करना चाहता है, जिसके
प्रतिकर/प्रतिफल प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को नो-ड्यूज/अदेयता प्रमाण-पत्र की आव यकता
है।

अतः कृपया निम्न वर्णित भूमि का नो-ड्यूज/अदेयता प्रमाण-पत्र देने की कृपा करें।

Hk\$ie dk fooj .k

[kkrk l a[; k&

[kl jk l a[; k@{ks=Qy&

gLrk{kj i kFkhz

uke-----

rgl hy dh tk\$ v k[; k

i ¼ Jh-----

fuokl h-----

gLrk{kj

vehu

gLrk{kj

rgl hynkj